Polity

मूल कर्तव्य [Fundamental Duties]

- मूल संविधान में नहीं थी।
- इन्हें 42 वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया।
 Added by 42 CA 1976
- Part (भाग) - IV (A), रूस के संविधान से लिया है।
- Art 51 (A)

स्वर्ण सिंह समिति सिफारिश (Recommendation) पर जोड़े गये।

⇒ प्रधानमंत्री (PM) ⇒ श्री मती इंदिरा गांधी

- गठन - 26 Feb. 1976
- अध्यक्ष - स्वर्ण सिंह
- सदस्य - 12 सदस्य

स्वर्ण सिंह समिति की (Recommendation) सिफारिश :-

(1) मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा जाना चाहिए। → Accept (स्वीकार)

[2] 8 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ना चाहिए ⇒ 10 कर्तव्यों को जोड़ा (1976) में ↓ 42 CA 1976

[3] कर (Tax) अदायगी → मौलिक कर्तव्य बनाना चाहिए।
↓ अस्वीकार [Reject]

⇒ वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या (No. of fundamental Duties in present) ⇒ (11)

11 वां कर्तव्य → Add on / जोड़ा गया ⇒ 86 वां संविधान संशोधन 2002

6-14 वर्ष के बच्चे (Children) 86 Constitution Amendment 2002

⇓

इनकी शिक्षा [education] का उत्तरदायित्व [Responsibility]

इनके माता-पिता [Parent's] का होगा।

संघीय कार्यपालिका

[The Union Executive]

संविधान का भाग-5, संघ (The Union) से सम्बन्धित है।

Part 5 of the Constitution deals with The Union.

⇒ Art. 52-78 ⇒ कार्यपालिका ⇒ कानूनों को लागू करना Execute of the laws

- राष्ट्रपति [President]
- उपराष्ट्रपति [Vice-President]
- मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री [Council of Ministers & PM]

महान्यायवादी Attorney General

⇒ अनुच्छेद 52-78 संघीय कार्यपालिका के बारे में विवेचन करता है। इसके तहत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद् तथा भारत के महान्यायवादी सम्बन्धी प्रावधान दिये गये है।

Article 52-78 discuss about the federal executive. Under this, provisions related to the President, Vice President, Prime Minister, Council of Ministers and Attorney General of India have been given.

कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका भारतीय लोकतंत्र के तीन आधार स्तम्भ हैं Executive, Legislative and Judiciary are the three pillars of Indian democracy

भारत का राष्ट्रपति [The President of India]

⇒ भारत में संघीय कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति (अनु॰52) है राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक [First Citizen] होता है। In India, the head of the federal executive is the president (Article-52). The President is the first Citizen of the Country.

Art. 52 - भारत के एक राष्ट्रपति होंगे ⇒ The Shall be a President of India

वास्तविक प्रधान ⇐ संघीय कार्यपालिका ⇒ संवैधानिक और नाममात्र के प्रधान
Real Head → PM/Com — Union executive — Constitution's Nominal Head

Art. 53 → संघीय कार्यपालिका [Union executive] ⇒ शक्तियाँ (Powers) → राष्ट्रपति में निहित Vested in president

प्रयोग - Use

स्वयं By him / या / अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से [By the Subordinate officers]

COM ⇒ Head प्रधान ⇒ PM

राष्ट्रपति का निर्वाचक गण्डल
[Electoral College of the President]

अनुच्छेद 54 → LS or RS

(i) संसद के दोनों सदनों (लोक सभा तथा राज्य सभा) के निर्वाचित सदस्य* तथा (i) Elected members of both the Houses of parliament (Lok Sabha and Rajya Sabha)* and

⇒ Elected MP's
निर्वाचित सांसद

(ii) राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे। There will be elected members of the Legislative Assemblies of the States.

elected MLA's
निर्वाचित : विधायक

दिल्ली, पुदुचेरी, J K ⇒ विधानसभा के निर्वाचित सदस्य

Elected MLA's

→ 70 CA 1992 ⇒ राष्ट्रपति के मतदान के अधिकार।

मनोनीत सदस्य → मतदान ✗
(Nominated members)
⇒ विधानपरिषद के सदस्य [MLC's] ✗